विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 09 अक्तूबर, 2017

संख्याः एल0एल0आर0–डी0(6)–21/2017–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07–10–2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई–राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
डा0 बलदेव सिंह,
प्रधान सचिव (विधि)।

———————

2017 का अध्यादेश संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :––

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास (संशोधन) अध्यादेश, 2017 है।

2. **धारा 2 का प्रतिस्थापन.**––हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :––

''2. परिभाषाएं.––इस अध्यादेश में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.––

(क) ''अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ख) ''सहायक आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त सहायक आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है;

(ग) ''पूर्त विन्यास'' से, किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग के उपयोग के उद्देश्यों के समर्थन या अनुरक्षण के लिए उनके फायदों के लिए दी गई या विन्यस्व या किसी समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार के रूप में प्रयुक्त समस्त सम्पत्ति जैसे सराय, विश्राम गृह, पाठशालाएं, विद्यालय और महाविद्यालय, गरीबों को भोजन खिलाने के आवास तथा शिक्षा के अभिवर्धन के लिए संस्थाएं, चिकित्सा राहत निधि और लोक स्वास्थ्य या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य अभिप्रेत हैं और इसके अन्तर्गत सम्बद्ध संस्थाएं भी हैं ;

(घ) ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है जो इस अध्यादेश के अधीन तत्समय, मुख्य आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(ङ) ''आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक ऐसा अधिकारी भी है, जो इस अध्यादेश के अधीन तत्समय, आयुक्त (मन्दिर) की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करता है;

(च) ''सरकार'' या ''राज्य सरकार'' से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) ''आनुवंशिक न्यासी'' से, किसी धार्मिक संस्था का ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जिसके पद का उत्तराधिकार, जब तक कि उत्तराधिकार की ऐसी पद्धति (स्कीम) प्रवृत्त है, आनुवंशिक अधिकार द्वारा, या तत्समय पदासीन न्यासी द्वारा, नामांकन द्वारा न्यागत होता है या रूढ़ि द्वारा विनियमित होता है या संस्थापक द्वारा विनिर्दिष्टतया उपबंधित है;

(ज) ''हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था'' से, मठ, मन्दिर, समाध, समाधि, डेरा और उससे सम्बद्ध विन्यास या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धार्मिक उद्देश्य से स्थापित विनिर्दिष्ट विन्यास अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैः——

(*i*) किसी मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में पूजा के लिए या उसमें रख—रखाव या सुधार, परिवर्धन के लिए उनसे सम्बन्धित किसी सेवा या पूर्त कार्य के लिए दी गई या विन्यस्त सम्पूर्ण जंगम या स्थावर सम्पत्ति;

(*ii*) मठ या मन्दिर, समाध, समाधि या डेरा में स्थापित मूर्तियां, कपड़े, आभूषण और अलंकरण की अन्य वस्तुएं आदि; और

(*iii*) राज्य सरकार के सीधे नियन्त्रणाधीन धार्मिक संस्था किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसे प्राइवेट धार्मिक मठ या मन्दिर सम्मिलित नहीं हैं जिनमें लोग हितबद्ध नहीं हैं :

परन्तु किसी भी सार्वजनिक धार्मिक संस्था में श्रद्धालुओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नकद या वस्तु रूप में कोई चढ़ावा ऐसी धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्ति समझा जाएगा;

(झ) ''संयुक्त आयुक्त (मन्दिर)'' से, धारा 3 के अधीन नियुक्त संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) अभिप्रेत है ;

(ञ) ''मठ'' से, हिन्दू विधि के अधीन मठ के रूप में समझा गया मठ अभिप्रेत है;

(ट) ''अन—आनुवंशिक न्यासी'' से, ऐसा न्यासी अभिप्रेत है जो आनुवंशिक न्यासी नहीं है और इसके अन्तर्गत मन्दिर न्यास में इस प्रकार नियुक्त सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी है;

(ठ) ''अधिकारी'' से, इस अध्यादेश के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत मुख्य आयुक्त (मन्दिर), अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर), आयुक्त (मन्दिर), संयुक्त आयुक्त (मन्दिर), मन्दिर अधिकारी और सहायक आयुक्त (मन्दिर) भी है;

(ड) ''विहित'' से, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''पुजारी'' के अन्तर्गत पण्डा या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो पूजा या अन्य धार्मिक कृत्य करता है या उसका संचालन करता है;

(ण) ''अनुसूची'' से, मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) ''धारा'' से, इस अध्यादेश की धारा अभिप्रेत है;

(थ) ''राज्य'' से, हिमाचल प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(द) ''मन्दिर'' से, किसी भी नाम से ज्ञात ऐसा स्थान अभिप्रेत है जिसका उपयोग सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में किया जाता हो और जो सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग द्वारा अधिकार स्वरूप उपयोग में लाया जाता हो;

(ध) ''मन्दिर न्यास'' से, धारा 5 के अधीन आयुक्त (मन्दिर) द्वारा गठित न्यास अभिप्रेत है;

(न) ''मन्दिर अधिकारी'' से, सरकार द्वारा मन्दिर के दिन–प्रतिदिन के प्रबन्धन हेतु नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है; और

(प) ''न्यासी'' से, किसी भी पदनाम से ज्ञात ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है, जिसमें हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास का प्रशासन निहित है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है जो वैसे ही दायी है मानो कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय ही न्यासी है।

3. **धारा 3 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''3. मुख्य आयुक्त (मन्दिर) और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.––(1) सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग का प्रशासनिक सचिव सम्पूर्ण राज्य के लिए इस अध्यादेश के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(2) निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति हिमाचल प्रदेश या सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी, सम्पूर्ण राज्य के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए अतिरिक्त मुख्य आयुक्त (मन्दिर) होगा।

(3) सरकार, उपायुक्त या किसी अन्य अधिकारी को सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए इस अध्यादेश के अधीन या द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(4) सरकार, उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए संयुक्त आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(5) सरकार, राजस्व विभाग के तहसीलदारों में से या किसी समतुल्य अधिकारी को प्रत्येक मन्दिर के लिए उसके कार्य की देख–रेख करने हेतु मन्दिर अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(6) सरकार, जिला भाषा अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को, सम्पूर्ण राज्य या उसके विभिन्न भागों के लिए, विहित शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए सहायक आयुक्त (मन्दिर) के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(7) सरकार समय–समय पर आयुक्त (मन्दिर) की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द, जो वह उचित समझे, की नियुक्ति कर सकेगी।

(8) प्रत्येक मन्दिर न्यास के कर्मचारियों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा अनुमोदित की जाएं :

परन्तु मन्दिर न्यास के कर्मचारियों को संदेय उपलब्धियां और अन्य धनीय प्रसुविधाएं मन्दिर न्यास की आय को ध्यान में रखते हुए विहित की जाएंगी और इस प्रयोजन के लिए सरकार मन्दिरों को, उनके संसाधनों पर आधारित, दो या अधिक वर्गों में वर्गीकृत कर सकेगी। सरकार, यदि उचित समझे, तो मन्दिर न्यास कर्मचारियों की सेवा के निबन्धनों के सम्बन्ध में अनुसरित किए जाने वाले साधारण नियमों को अनुमोदित कर सकेगी और उन्हें इस अध्यादेश के अधीन राज्य के मन्दिर न्यासों के प्रत्येक भर्ती और प्रोन्नति नियमों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा।''।

4. **धारा 4 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:––

''4. अध्यादेश के अधीन अधिकारी का हिन्दू होना.– इस अध्यादेश के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में से होगा ।''।

5. **कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन.**–– मूल अधिनियम में,––

(क) धारा 12, 14, 16, 19, 22 और 28 में ''वित्त आयुक्त'' शब्द जहां–जहां आते हैं, के स्थान पर ''मुख्य आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ख) धारा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 और 34 में ''आयुक्त'' शब्द जहां–जहां आता है, के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर)'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

6. **धारा 12–क का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 12–क के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:––

''12–क. हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों के सोने और चाँदी का अन्यसंक्रामण.– अनुसूची–1 में यथा सम्मिलित प्रत्येक हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्त विन्यास में श्रद्धालुओं से सोने और चाँदी की विभिन्न किस्मों (प्रकारों) के रूप में प्राप्त चढ़ावे को ऐसी रीति में अन्यसंक्रान्त किया जाएगा, जो विहित की जाए।''।

7. **धारा 15 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) में, ''आयुक्त'' शब्द के स्थान पर ''आयुक्त (मन्दिर) स्वयं या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के माध्यम से'' शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।

8. **धारा 18 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर ''पच्चीस'' शब्द रखा जाएगा।

9. धारा 23 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:——

''(4) हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं और पूर्त विन्यासों की वार्षिक संपरीक्षा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुभाग अधिकारी (राज्य लेखा सेवाएं) द्वारा या स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा या मुख्य आयुक्त (मन्दिर) द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी चार्टड एकाउंटेण्ट द्वारा संचालित की जाएगी।''।

10. धारा 29 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में, ''पूर्त विन्यास'' शब्दों के पश्चात् ''या मन्दिरों का समूह, यथा स्थिति'', शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

(आचार्य देवव्रत)
राज्यपाल।

(डॉ० बलदेव सिंह)
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला :
तारीख : ...., 2017

——————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE No. 4 of 2017

THE HIMACHAL PRADESH HINDU PUBLIC RELIGIOUS INSTITUTIONS AND CHARITABLE ENDOWMENTS (AMENDMENT) ORDINANCE, 2017

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE further to amend the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (Act No. 18 of 1984).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments (Amendment) Ordinance, 2017.

2. Substitution of section 2.— For section 2 of the Himachal Pradesh Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1984 (hereinafter referred to as the "principal Act"), the following shall be substituted, namely,—

"2. Definitions.—In this Ordinance, unless the context otherwise requires.—

(*a*) "Additional Chief Commissioner (Temple)" means the Additional Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(*b*) "Assistant Commissioner (Temple)" means the Assistant Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(*c*) "Charitable endowment" means all property given or endowed for the benefit of, or used as of right by, the community or any section thereof for the support or maintenance of objects of utility to the community or section, such as sarais, rest-houses, pathshalas, schools and colleges, houses for feeding the poor and institution for advancement of education, medical relief fund and public health or other objects of like nature and includes the institution concerned;

(*d*) "Chief Commissioner (Temple)" means the Chief Commissioner (Temple) appointed under section 3 and include every officer, who for the time being exercises the powers and perform the functions of a Chief Commissioner (Temple) under this Ordinance;

(*e*) "Commissioner (Temple)" means the Commissioner (Temple) appointed under section 3 and includes every officer, who for the time being exercises the powers and performs the functions of a Commissioner (Temple) under this Ordinance;

(*f*) "Government" or "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(*g*) "Hereditary trustee" means the trustee of a religious institution succession to whose office devolves by hereditary right or by nomination by the trustee for the time being in office or is regulated by custom, or is specifically provided for by the founder, so long as such scheme of succession is in force;

(*h*) "Hindu public religious institution" means a math, temple, smadh, smadhi, dera and endowment attached thereto or a specified endowment, established with a religious object for a public purpose and includes ,—

(*i*) all property movable or immovable belonging to or given or endowed for worship in, maintenance or improvement of, additions to, a math or temple, smadh, smadhi or dera for the performance of any service or charity connected therewith;

(*ii*) the idols installed in the math or temple, smadh, smadhi or dera clothes, ornaments andthings for decoration etc.; and

(*iii*) religious institution under the direct control of the State Government, but does not include such private religious maths or temples in which the public are not interested:

Provided that any offering, whether in kind or in cash, made by the pilgrims or by any other person in any Hindu public religious institutions shall be deemed to be the property of such religious institutions;

(*i*) "Joint Commissioner (Temple)" means the Joint Commissioner (Temple) appointed under section 3;

(*j*) "Math" means a math as understood under the Hindu Law ;

(*k*) "Non-hereditary trustee" means a trustee who is not a hereditary trustee and includes a Government Officer or Officials so appointed in the temple trust;

(*l*) "Officer" means an officer appointed under this Ordinance and shall include the Chief Commissioner (Temple), Additional Chief Commissioner (Temple), Commissioner (Temple), Joint Commissioner (Temple), Temple Officer and Assistant Commissioner (Temple) ;

(*m*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;

(*n*) "pujari" includes a panda or any other person who performs or conducts puja or other rituals;

(*o*) "Schedule" means the schedule appended to the principle Act;

(*p*) "Section" means section of this Ordinance;

(*q*) "State" means the State of Himachal Pradesh;

(*r*) "Temple" means a place, by whatever name known, used as a place of public religious worship, and dedicated to, for the benefit of, or used as of right by the Hindu community or any section thereof as a place of public religious worship;

(*s*) "Temple Trust" means the trust constituted by the Commissioner (Temple) under section 5 of this Act;

(*t*) "Temple Officer" means the officer appointed by the Government to undertake the day to day management of the Temple; and

(*u*) "Trustee" means any person or body of persons, by whatever designation known, in whom or in which the administration of a Hindu religious Public institution and charitable endowment is vested, and includes any person or body of persons who or which is liable, as if such person or body of persons were a trustee.".

3. Substitution of section 3.—For section 3 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"3. Appointment of the Chief Commissioner (Temple) and other officers.—(1) The Administrative Secretary of the Language, Art and Culture Department of the Government shall be the Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and perform the functions conferred upon or entrusted to him by or under this Ordinance.

(2) The Director, Language, Art and Culture, Himachal Pradesh or any other officer appointed by the Government shall be the Additional Chief Commissioner (Temple) for the whole of the State to exercise the powers and functions, as may be prescribed.

(3) The Government may appoint Deputy Commissioner or any other officer as Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and functions conferred upon, or entrusted to him by or under this Ordinance.

(4) The Government may appoint the Sub Divisional Officer (Civil) or any other officer as the Joint Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and functions, as may be prescribed.

(5) The Government may appoint from amongst the Tehsildars of Revenue Department or any equivalent officer as Temple Officer for each Temple to look after its work.

(6) The Government may appoint the District Language Officer or any other officer as the Assistant Commissioner (Temple) for the whole or different parts of the State to exercise the powers and functions, as may be prescribed.

(7) The Government may, from time to time, appoint such other officers and staff to assist the Commissioner (Temple) as it may deem fit.

(8) The Recruitment and Promotion Rules and other conditions of service for the employees of each temple trust shall be such as may be approved by the Chief Commissioner (Temple):

Provided that the emoluments and other monetary benefits payable to the employees of temple trust shall be prescribed taking into account the income of the temple trust and for this purpose the Government may classify the temples into two or more categories based on their resources. The Government, may, if deemed fit, approve general rules to be followed regarding the terms of service of the temple trust employees and that would deem to be incorporated in each Recruitment and Promotion Rules of the temple trusts of the State under this Ordinance.".

4. Substitution of section 4.—For section 4 of the principal Act, the following shall be substituted namely :—

"4. The Officer under Ordinance to be a Hindu.- An officer appointed under the Ordinance shall be out of the persons professing the Hindu Religion.".

5. Substitution of certain words.- In the principal Act,—

a. for the words "Financial Commissioner", wherever occur in section 12,14,16,19,22 and 28, the words and signs "Chief Commissioner (Temple)" shall be substituted ; and

b. for the words "the Commissioner", wherever occur in section 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 30 and 34, the words and signs " the Commissioner (Temple)" shall be substituted.

5. Substitution of section 12-A.- For section 12-A of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"12-A. Alienation of gold and silver of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments.– The offerings received from the devotees in the shape of various varieties of gold and silver in every Hindu Public Religious Institution and Charitable Endowment, as included in the Schedule-I, shall be alienated in the manner, as may be prescribed."—.

7. Amendment of section 15.—In section 15 of the principal Act, in the sub - section 2, for the words "Commissioner may," the words and signs "Commissioner (Temple) may himself or through any officer authorized by him" shall be substituted.

8. Amendment of section 18.—In Section 18 of the principal Act, in sub- section (5), for the word "twenty" the words "twenty five" shall be substituted.

9. Amendment of Section 23.—In Section 23 of the principal Act, for sub- section (4), the following shall be substituted, namely:—

"(4) The annual audit of the Hindu Public Religious Institutions and Charitable Endowments shall be conducted by the Section Officer (State Accounts Services) of the Language and Culture Department or by the officers of the Local Audit Department or any Chartered Accountant, duly authorised by the Chief Commissioner (Temple).".

10. Amendment of section 29.—In Section 29 of the principal Act, in sub- section (1), after the words "Charitable Endowment", the words and sign" or group of temples, as the case may be" shall be inserted .

(ACHARYA DEVVRAT)
Governor.

(Dr. BALDEV SINGH)
Pr. Secretary (Law).

SHIMLA:
THE……………., 2017.